


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 06 मार्च 2019

क्रमांक: एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 809

संशोधन आदेश

कॉलेज शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/264 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा कॉलेज शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा)/राजस्थान स्वच्छेया ग्रामीण शिक्षा सेवा के प्राध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में सूची के क्रम संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 147, 149, 152, 154, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192 एवं 213 तथा स्थानान्तरण आदेश क्रमांक एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/266 दिनांक 05.03.2019 में क्रम संख्या 03 एवं 04 पर वर्णित प्राध्यापकों/कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आधार पर किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थानान्तरण स्वैच्छिक होने के कारण यात्रा भत्ता एवं योग काल देय नहीं है।


(प्रदीप कुमार बोरड) 6/3/2019


विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 06 मार्च 2019

क्रमांक: एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 809

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा, राज्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित प्राचार्य को पालनार्थ
5. संबंधित प्राध्यापक।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर